न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 38/2019 (279/2008, 481/2018)
दायर दिनांक :– 10.06.2008

अनवान

श्री रमेश चन्द्र पिता कन्हैयालाल ब्राहमण नि. बागुदार तह. जहाजपुर

वादी.....

बनाम

1. रामजस पिता गोकल लाल ब्राहमण नि. बागुदार तह. जहाजपुर
2. मांगीलाल पिता गोकल लाल ब्राहमण नि. बागुदार तह. जहाजपुर
3. शिवरतन पिता कन्हैयालाल ब्राहमण नि. बागुदार तह. जहाजपुर
4. मोहन लाल पिता वंशीलाल ब्राहमण नि. बागुदार तह. जहाजपुर
5. मूलचन्द पिता वंशीलाल ब्राहमण नि. बागुदार तह. जहाजपुर
6. शंकर लाल पिता वंशीलाल ब्राहमण नि. बागुदार तह. जहाजपुर
7. बाबूलाल पिता वंशीलाल ब्राहमण नि. बागुदार तह. जहाजपुर
8. ओमप्रकाश पिता वंशीलाल ब्राहमण नि. बागुदार तह. जहाजपुर
9. लाड पुत्री वंशीलाल पत्नि गोपाल लाल ब्राहमण हाल मु. शक्करगढ तह. जहाजपुर
10. बाली पुत्री वंशीलाल पत्नि रामदयाल शर्मा हाल मु. खैरूणा तह. जहाजपुर
11. सोहनी देवी बेवा वंशीलाल ब्राहमण नि. बागुदार तह. जहाजपुर
12. चन्द्रेश कुमार पिता गोकल लाल ब्राहमण नि. बागुदार तह. जहाजपुर
13. विनोद पिला लादु लाल ब्राहमण नि. बागुदार तह. जहाजपुर
14. दिनेश पिता लादु लाल ब्राहमण नि. बागुदार तह. जहाजपुर
15. श्यामलाल पिता लादु लाल ब्राहमण नि. बागुदार तह. जहाजपुर
16. मु. हगामी बेवा लादु लाल ब्राहमण नि. बागुदार तह. जहाजपुर
17. सत्यनारायण पिता भुरालाल ब्राहमण नि. बागुदार तह. जहाजपुर
18. सत्यनारायण पिता वंशीलाल गुजराती नि. बागुदार तह. जहाजपुर
19. नन्दकिशोर पिता शंभु प्रसाद गुजराती नि. बागुदार तह. जहाजपुर
20. कमला देवी पत्नि शंभु प्रसाद गुजराती नि. बागुदार तह. जहाजपुर
21. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण.....

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 ए, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री छीतर लाल रेगर, वकील वादी
2. श्री ओम प्रकाश मुन्दडा, वकील प्रतिवादी सं. 1 से 8, 11, 12, 14, 15, 16

:: आदेश :: दिनांक 16.10.2020

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम बागुदार प. ह. बागुदार तह0 जहाजपुर की आ0 न0 23/3 रकबा 01.13 बीघा, आ.न. 409 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.11.05 17:21:58 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

03.04 बीघा, आ.न. 529/3 रकबा 0.18 बीघा, आ.न. 530/1 रकबा 0.16 बीघा, आ. न. 530/3 रकबा 0.09 बीघा, आ.न. 580/1 रकबा 01.04 बीघा, आ.न. 581/1 रकबा 01.03 बीघा, आ.न. 1128/532 रकबा 01.10 बीघा कुल किता 08 रकबा 10. 17 बीघा भुमि वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में प्यारचंद पिता धन्ना लाल ब्राहमण के खाते में दर्ज हैं ग्राम बागुदार प. ह. बागुदार में आ.न. 528 रकबा 2.02 बीघा जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में 3/4 प्रतिवादी सं. 1 का व 1/4 हक व हिस्सा प्यारचन्द पिता धन्ना लाल ब्राहमण के खाते मे दर्ज है। ग्राम बागुदार प. ह. बागुदार में आ. न. 258/2 रकबा 0.05 बीघा जो प्रतिवादी सं. 1 व मृतक कन्हैयालाल, प्यारचन्द व प्रतिवादी सं. 4 से 11 के नाम दर्ज हैं ग्राम बागुदार की आ.न. 519 रकबा 0.09 बीघा जो प्रतिवादी सं. 1, 2, 12 वादी के प्रतिवादी सं. 3, मृतक सुरेश के प्रतिवादी सं. 4 से 11 के, प्यारचन्द के प्रतिवादी सं. 14, 15 के पिता व 16 के पति के 17 के 2/5 हक व हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 18 के पिता के 1/6 हक व हिस्सा एव प्रतिवादी सं. 19 व 20 के खाते में दर्ज है। वाद पत्र की चरण सं. 1, 2, 3 व 4 में वर्णित कृषि आराजियात में मृतक प्यारचन्द पिता धन्ना लाल ब्राहमण का हक व हिस्सा दर्ज हैं। उसके जरिये वसीयत नामा पंजीकृत के द्वारा प्यारचन्द ब्राहमण ने अपने जीवन काल में सक्षम गवाहान की मौजुदगी में उप पंजीयक के समक्ष पेश होकर वादी के पक्ष में दिनांक 17.06.2020 को निष्पादित कर दी क्यो कि प्यारचद अविवाहित था तथा प्यारचन्द के कोई औलाद नही थी इसलिये प्यारचन्द जी ने बचपन से ही वादी के अपने पास रखा वादी ने ही ताजिंदगी प्यारचन्द जी की सेवाचाकरी की तथा मृत्यु उपरान्त भी सभी सामाजिक कियाकम वादी ने वहन किया तथा मृतक प्यारचन्द जी ने अपने जीवन काल में ही पंजीकृत वसीयत वादी के पक्ष में निष्पादित कर दी तथा खातेदार प्यारचन्द की मृत्यु दिनांक 22.05.2007 को ही हो गई प्यारचन्द की मृत्यु हो जाने से प्यारचंद जी की गांव बागुदार में समस्त चल अचल सम्पति पर मालिकाना हक व अधिकार वादी का हैं तथा वादी की ही सम्पुर्ण कृषि आराजियात पर कब्जा होकर काश्त करता आ रहा हैं। इसलिये वादी मृत्तक प्यारचन्द जी के खाते की सम्पुर्ण कृषि आराजी पर खातेदार काश्तकार घोषित करवाने की डिकी प्राप्त करने की विधिक अधिकारी हैं तथा ऐसा किया जाना आवश्यक एवं न्यास संगत है। वादी ने प्यारचन्द जी की मृत्यु के पश्चात पटवार हल्का बागुदार को वसीयत के आधार पर खाता रदद्बोवदल करने का प्रार्थना पत्र दिया जिस पर प. ह. बागुदार ने प्यारंचन्द पिता धन्ना लाल ब्राहमण के स्थान पर वसीयत नामा के आधार पर वादी का नाम नामांतरकरण फरद में भर कर पेश किया परन्तु नायब तहसीलदार जहाजपुर ने बिना वसीयत की जॉच किये नामांतरकरण सं. 1698 को खारिज कर दिया तथा वादी ने एक प्रार्थनापत्र श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सतर्कता भीलवाडा को दिया परन्तु उन्होने माननीय न्यायालय के समक्ष दावा पेश करने को कहा इसलिये वादी माननीय न्यायालय मे दावा पेश किया है। वादी वाद पत्र की चरण सं. 1 से 4 में वर्णित कृषि आराजियात व आचा का उपयोग उपभोग शांतिपुर्वक कर रहा है जिसे प्रतिवादीगण वादी के शातिपूर्वक कब्जे काश्त आराजी चाह का उपयोग उपभोग करने मे बाधा न डाले न अपने नोकर एजेन्टो से डलवाये की स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पावन्द करावे तथा वादी ने ताजिंदगी प्यारचन्द की सेवा चाकरी की है तथा प्यारंचन्द जी ने अपने जीवन काल में वादी के पक्ष में एक पंजीकृत वसीयत नामा निष्पादित करवाया हैं इसलिये वादी का प्यारचंद के स्थान पर खातेदार काश्तकार के रूप में नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने की डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण प्रदान करने की मांग की।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 9, 10, 13, 17 से 20 उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 1 से 8, 11, 12, 14, 15, 16 की और से श्री ओम प्रकाश मुन्दडा एडवोकेट द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया। वकील प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.11.05 17:21:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया की वाद पत्र की चरण स. 1 से 4 स्वीकार हैं वाद पत्र की चरण सं. 5 के संबध में उक्त वर्णित आराजियात में मृतक प्यारचन्द पिता धन्ना लाल ब्राहमण का हक व हिस्सा दर्ज हैं उक्त कथन सही होने से स्वीकार हैं किन्तु इस चरण में वर्णित यह कथन की उसको जरिये वसीयतनामा पंजीकृत के द्वारा प्यार चन्द ब्राहमण ने अपने जीवन काल में सक्षम गवाहो की मौजुदगी मे उप पंजीयक के समक्ष पेश होकर वादी के पक्ष में दिनांक 17.06.2002 को निष्पादित कर दी। उक्त कथन पुर्णतया मिथ्या होने से अस्वीकार हैं। प्यार चन्द के अविवाहीत होने व कोई औलाद नही होने का तथ्य स्वीकार है। किन्तु प्यार चन्द ने बचपन से ही वादी को अपने पास रखा वादी ने ही ताजीन्दगी प्यारचन्द जी की सेवा चाकरी की तथा मृत्यु उपरान्त भी सभी सामाजिक कियाकम वादी ने वहन किया। तथा मृतक प्यारचन्द ने अपने जीवन काल में ही पंजीकृत वसीयत वादी के पक्ष में निष्पादित कर दी हैं उक्त कथन मिथ्या होने से अस्वीकार हैं। प्यार चन्द की मृत्यु 22.05.2007 को नही होकर 21.05.2007 को हुई हैं इस चरण मे वर्णित यह कथन की प्यार चन्द जी गांव बागुदार मे समस्त चल अचल सम्पति पर मालिकाना हक वादी का होने का तथ्य मिथ्या होने से अस्वीकार हैं। वादी का प्यार चन्द की कृषि भुमि पर कब्जा होने का तथ्य भी मिथ्या होने से अस्वीकार हैं। वादी प्यार चन्द जी की सम्पुर्ण कृषि आराजियात पर खातेदारी काश्तकार घोषित कराने की डिकी प्राप्त करने का विधिक अधिकारी होने का तथ्य भी मिथ्या होने से अस्वीकार हैं वादी प्यारचन्द की सम्पति का एक मात्र अधिकारी नही है। मुलाहिजा हो मजिद जवाब। वाद पत्र की चरा स. 6 व 7 अस्वीकार हैं तथा प्रतिवादीगण द्वारा कोस शुट प्रस्तुत किया गया जिसमें उक्त भूमि में प्यार चन्द की सम्पत्ति के द्वितीय सूची के अधिकारियों को सजरे अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिकी बहक प्रतिवादी विरूद्व वादी फरमाये जाने बावत निवेदन किया गया। वकील वादी द्वारा कोस शुट का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया की मृतक खातेदार प्यारचन्द के उत्तराधिकारियों का सजरा में तथ्य वर्णित किये है गलत होने से अस्वीकार हैं मृतक प्यारचन्द ने अपने जीवनकाल में जवाबदार के पक्ष में वसीयत की हैं इसलिये वसीयत के आधार पर वादी मृतक प्यारचन्द की सम्पदा का मालिक हैं मृतक प्यारचन्द मृत्यु तक पूर्ण रूप से स्वस्थ थे स्मरण शक्ति अच्छी थी आंखो से दिखाई देता था व सुनने की क्षमता भी सही थी व पूर्ण रूप से सोचने समझने की शक्ति थी। तथा उप पंजीयक अधिकारी के समक्ष प्यारचन्द जी ने वसीयत की थी अगर प्यारचन्द जी स्वस्थ नही हो स्मरण शक्ति नही होती तो उप पंजीयक अधिकारी वसीयत नही करता। वसीयत करते वक्त प्रतिवादी सं. 2 ने काफी कोशिश की वसीयत नही हो परन्तु प्यारचन्द जी पूर्ण स्वस्थ व स्मरण शक्ति सही होने से उप पंजीयक ने वसीयत पंजीकृत की। कोस शुट मे वर्णित कुलिया कथन झुठे होने से स्वीकार न हो अस्वीकार हैं एक पंजीकृत वसीयत को प्रोवेट कराना आवश्यक नही है तथा खातेदारी की कृषि जमीन को खातेदारी मे दर्ज करवाने हेतु माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणधिकार है। अतः प्रतिवादीगण के कोस सुट को खारिज फरमातें हुये वादी का वाद पत्र में वर्णित दाद प्रदान करने की कृपा करावे। दिनांक 07.09.2020 को प्रतिवादीगण तथा उनके अधिवक्ता उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने वादपत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2060 से 2063 की खाता सं. 207 प्रदर्श 1, नकल जमाबन्दी सम्वत 2060 से 2063 की खाता सं. 422 प्रदर्श 2, नकल जमाबन्दी सम्वत 2060 से 2063 की खाता सं. 350 प्रदर्श 3, नकल जमाबन्दी सम्वत 2060 से 2063 की खाता सं. 358 प्रदर्श 4, नामांतरकरण सं. 1698 की प्रति प्रदर्श 5, पंजीकृत वसीयत नामा प्रदर्श 6, वसीयत नामा की फोटो प्रति प्रदर्श 6 ए है। एवं ब्यान गवाह में स्वंय वादी रमेशचन्द्र पी. डब्ल्यु 1, सत्यनारायण पी.

अधिकारी
...पुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.11.05 17:21:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डब्ल्यु 2, दुर्गालाल पी. डब्ल्यु 3 के ब्यान शपथ पत्र पर प्रस्तुत किये गये। जिसे शामिल फाईल किया गया।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है की उक्त वर्णित आराजियात की जरिये वसीयत नामा पंजीकृत के द्वारा प्यारचन्द ब्राहमण ने अपने जीवन काल में सक्षम गवाहान की मौजुदगी में उप पंजीयक के समक्ष पेश होकर वादी रमेश चन्द्र के पक्ष में दिनांक 17.06.2020 को निष्पादित की गई थी। वसियतकर्ता नाऔलाद फौत होने से एवं उसके जिवित रहते उसकी सेवा चाकरी रमेश चन्द्र वादी ने की थी। जिसकी ताईद प्रदर्श 6 ए वसीयत नामा की प्रति से होती हैं। जिसमें प्यारचन्द ने उक्त वाद में वर्णित भुमि का रमेश चन्द्र वादी के पक्ष मे वसीयत नामा लिखा गया है। तथा उक्त वसीयत नामा में अंकित गवाह सत्यनारायण पी डब्ल्यु 2, दुर्गालाल पी.डब्ल्यु 3 के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र बयान प्रस्तुत किये गये है। उक्त वसीयत नामा उक्त गवाहानो के सामने लिखा गया है। तथा उक्त वसीयत नामा में उक्त गवाहान के हस्ताक्षर अंकित है। इसलिये उक्त वसीयत नामा अनुसार वादी को वाद पत्र में वर्णित आराजी में मृतक प्यारचन्द पिता धन्ना लाल ब्राहमण के स्थान पर वादी को खातेदारी पाने के अधिकारी है। जिसे वादी का वाद पत्र डिकी किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

अतः वादी का वाद पत्र बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है की ग्राम बागुदार प. ह. बागुदार तह0 जहाजपुर की आ0 न0 23/3 रकबा 01.13 बीघा, आ.न. 409 रकबा 03.04 बीघा, आ.न. 529/3 रकबा 0.18 बीघा, आ.न. 530/1 रकबा 0.16 बीघा, आ.न. 530/3 रकबा 0.09 बीघा, आ.न. 580/1 रकबा 01.04 बीघा, आ.न. 581/1 रकबा 01.03 बीघा, आ.न. 1128/532 रकबा 01.10 बीघा कुल किता 08 रकबा 10.17 बीघा तथा ग्राम बागुदार प. ह. बागुदार में आ.न. 528 रकबा 2.02 बीघा तथा ग्राम बागुदार प. ह. बागुदार में आ. न. 258/2 रकबा 0.05 बीघा तथा ग्राम बागुदार की आ.न. 519 रकबा 0.09 बीघा में प्यारचन्द पिता धन्ना लाल ब्राहमण के स्थान पर वादी रमेश चन्द्र पिता कन्हैयालाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिकी मुर्तिब की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.11.05 17:21:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner